जून,2017 के महत्वपूर्ण प्रयास .....

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री, श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर एवं डीजीपी को पत्र लिखकर, ग्वालियर शहर के व्यवसाईयों के निवास एवं प्रतिष्ठानों पर विगत् कई दिनों से हो रहीं लगातार चोरी एवं लूट की घटनाओं में हुई एकाएक वृद्धि पर आक्रोश व्यक्त करते हुए व्यवसाईयों के यहाँ हुई चोरी व लूट की घटनाओं के दोषी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक पृथक से सेल का गठन किए जाने एवं पुलिस गश्त को और अधिक सुदृढ़ एवं सजग बनाए जाने की माँग की गई है ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री–श्री नितिन गड़करी, केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, श्री अनंत कुमार एवं केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को दि. 6 जून को 'चेम्बर भवन' में पधारने हेतु आमंत्रण–पत्र प्रेषित किए गए ।

* निदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान, इंदौर को पत्र प्रेषित कर, एमएसएमई इकाईयों के लिए जीएसटी पर सेमीनार आयोजित करने की माँग की गई ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री–श्री नितिन गड़करी एवं केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर शहर में ए. बी. रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–3 के अन्तर्गत रायरू से मोतीझील–बहौड़ापुर–गोल पहाड़ियाँ–नयागाँव तक का राजमार्ग एवं जौरासी हनुमान जी मंदिर मार्ग सहित अन्य मार्गों तथा मुरैना शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4–लेन फ्लाईओवर तथा ग्वालियर शहर में विभिन्न स्थानों पर रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी के निर्माण हेतु **शिलान्यास** किए जाने पर हार्दिक धन्यवाद व आभार व्यक्त किया गया ।

* महापौर, श्री विवेकनारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, अस्पताल मार्ग का नाम स्व. श्री पातीराम जैन जी के नाम पर रखे जाने की माँग की गई ।

* केन्द्रीय वित्तमंत्री–श्री अरुण जेटली को पत्र प्रेषित कर, डीएससी को जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत कराने में आ रही परेशानी को दूर करने एवं जीएसटी में माइग्रेट होने की समयावधि बढ़ाए जाने की माँग की गई ।

* यूका बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं आईडीबीआई बैंक द्वारा खाताधारकों से रु. 10 के नोट व सिक्के नहीं लिए जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए, चेम्बर द्वारा संबंधित बैंकों के प्रबंधकों सहित मुख्यालयों को पत्र प्रेषित किए गए ।

* पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर, आरटीओ, ग्वालियर एवं उप पुलिस अधीक्षक, यातायात को पत्र प्रेषित कर, शहर में संचालित सभी ऑटो में मीटर से बिलिंग किए जाने एवं चालकों के लिए यूनीफॉर्म अनिवार्य किए जाने की माँग की गई ।

* केन्द्रीय वित्तमंत्री–श्री अरुण जेटली को पत्र प्रेषित कर, जीएसटी की दरों पर आपत्तियाँ एवं सुझाव प्रेषित करते हुए माँग की गई कि टर्नओवर की सीमा बढ़ाई जाए । जो आयटम एक्साइजएबल हैं, उन पर उसका क्रेडिट मिलना चाहिए या स्टॉक जीएसटी से मुक्त होना चाहिए । कम्पोजीशन की सीमा 1 करोड़ रुपये की जाए । जीएसटी में रिटर्न एक माह के स्थान पर त्रैमासिक लिया जाए । एन्ट्री टैक्स का रिबेट दिया जाए । मिठाई मिक्स की दर 5 फीसदी रखी जाए । ई–वे बिल की वेलिडिटि फार्म–49 की भांति 14 दिन रखी जाए ।

* जीएसटी की व्यवहारिक कठिनाईयों के संबंध में फेडरेशन, भोपाल सहित प्रदेश के समस्त चेम्बर्स को पत्र प्रेषित कर, जीएसटी की विसंगतियों को केन्द्र सरकार तक पहुँचाकर सहयोग करने की माँग की गई ।

* देश की विभिन्न बैंकों द्वारा ट्रांजेक्शन चार्जेज सहित विभिन्न सेवाओं पर लगाए जाने वाले शुल्क वसूली को रोके जाने हेतु उचित आदेश व निर्देश जारी करने की माँग केन्द्रीय वित्तमंत्री–श्री अरुण जेटली एवं गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र प्रेषित कर की गई ।

* केन्द्रीय वित्तमंत्री–श्री अरुण जेटली को पत्र प्रेषित कर, कपड़ा को आमजन की मूलभूत आवश्यकता मानते हुए जीएसटी से मुक्त रखे जाने की माँग की गई है ।

* केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री–श्री जयंत मलैया एवं सांसद व पूर्व केन्द्रीय मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र के माध्यम से जीएसटी से होने वाली कठिनाईयों के बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए, माँग की गई कि सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल की बैठक में यदि संशोधनों की माँग की जाएगी, तो निश्चित ही इनमें संशोधन हो सकेंगे और देश को एक बेहतर कर प्रणाली मिल पाएगी ।

* केन्द्रीय रेलमंत्री, श्री सुरेश प्रभु, केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री–श्री मनोज सिन्हा एवं चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को पत्र प्रेषित कर, दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन (12721/12722) का संचालन काठगोदाम से किए जाने की माँग की गई है क्योंकि उक्त ट्रेन ह. निजामुद्दीन स्टेशन पर लगभग 19 घंटे खड़ी रहती है ।

* स्टेशन निदेशक, ग्वालियर रेलवे स्टेशन को पत्र प्रेषित कर, माँग की गई है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर प्रारम्भ की गई प्रीमियम पार्किंग की दरों से चेम्बर को अवगत कराया जाए, ताकि इन दरों को उचित माध्यम से प्रचारित किया जा सके और मनमाने ढंग से ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा की जा रही वसूली पर अंकुश लग सके ।

* मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी को पत्र प्रेषित कर, माँग की गई है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म क्रमांक–1 के बाहर प्रीमियम पार्किंग के साथ–साथ सामान्य पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए । साथ ही, मुख्य मार्ग को पूर्व की भांति आवागमन हेतु खुला रखा जाए क्योंकि प्रीमियम पार्किंग में पार्किंग की दरें काफी अधिक होने एवं 20 मिनिट का समय तय करने की उचित व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय नागरिकों में इसको लेकर काफी आक्रोश है तथा प्रीमियम पार्किंग में 20 मिनिट के स्थान पर 30 मिनिट पार्किंग फ्री की जाए एवं इसके बाद अगले 1 घंटे के लिए रु. 20/– शुल्क निर्धारित किया जाए और उसके बाद न्यूनतम आवश्यक दरें निर्धारित की जाएँ ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान एवं वित्त व वाणिज्यिक कर मंत्री–श्री जयंत मलैया को पत्र प्रेषित कर, प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण व्यापारियों पर लगाए गए नियमों को वापिस लिए जाने की माँग की गई ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री–श्रीमती माया सिंह को पत्र प्रेषित कर, यातायात नगर में अत्यन्त जर्जर सड़कों का निर्माण किए जाने एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई है ।

* मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर स्थित माल गोदाम पर आवक रेकों से माल की उतराई हेतु वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उ.म.रे., झाँसी द्वारा दिनांक 19–06–2017 से 18–07–2017 (एक माह) के लिए पीनल विलम्ब शुल्क लगाए जाने का विरोध करते हुए माल गोदाम पर आवक रेकों पर उतरान में विलम्ब पर लगाए गए तीन गुना जुर्माने के आदेश को तत्काल वापिस लिए जाने की माँग की गई है ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री–श्री गौरीशंकर बिसेन एवं वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री–श्री जयंत मलैया को पत्र प्रेषित कर, जीएसटी को ध्यान में रखते हुए, मण्डी कर को समाप्त किए जाने की माँग की गई है ।

* केन्द्रीय वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली को एक विस्तृत ज्ञापन प्रेषित कर जीएसटी में व्याप्त अनेक जटिलताओं का उचित समाधान किए जाने की माँग की गई है । ज्ञापन के बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. जीएसटी की थ्रेसहोल्ड लिमिट ट्रेडर्स के लिए रु. 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख एवं उद्योगों के लिए एक करोड़ की जाए । 2. ट्रेडर्स से वेट की तरह ही त्रैमासिक रिटर्न लिया जाए । 3. ई-वे बिल की वैद्यता फार्म-49 की तरह 14 दिन रखी जाकर, ई-वे बिल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर ही लागू किया जाए । 4. कम्पोजीशन की सीमा एक करोड़ की जाए । 5. व्यापारियों को जेल भेजे जाने का प्रावधान हटाया जाए । 6. व्यापारियों द्वारा वेट प्रणाली की तर्ज पर ई-वे बिल जारी करने के पश्चात् ट्रांसपोर्ट्स द्वारा ई-वे बिल जारी किए जाने की बाध्यता को समाप्त किया जावे । 7. इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम में संशोधन किया जाए । 8. जो आयटम एक्साइजएबल हैं, उन पर उसका क्रेडिट मिलना चाहिए या स्टॉक जीएसटी से मुक्त होना चाहिए । 9. कम्पोजिशन स्कीम में आईसक्रीम को भी शामिल किया जाए । 10. एचएसएन कोड ट्रेडर्स पर नहीं होना चाहिए । 11. मैन्युअली एकाउन्ट का भी विकल्प खुला होना चाहिए । 12. व्यापारी रजिस्टर्ड डीलर से माल क्रय कर जीएसटी चुका कर आया है, तब उसे उस व्यापारी द्वारा जीएसटी जमा नहीं करने पर उसका भी क्रेडिट मिलना चाहिए । 13. 31 मार्च,2018 तक का समय जीएसटी के लिए ट्रायल फ्री रखा जाए । 14. 50 हजार तक के बिलों को कम्प्यूटर के स्थान पर मैन्युअल बनाने की छूट दी जाए । 15. सायकल, सायकल के टायर-ट्यूव व पार्ट्स एवं एसेसरीज, सिलाई मशीन, टाईल्स, मारबल्स, सनमायका, प्लायबोर्ड पर जीएसटी की दर 5% रखी जाए । 16. आई. टी. और कम्प्यूटर ट्रेड के उत्पादों पर कर की दर एक समान रखी जाए । 17. कार, बस, ट्रक के टायर-ट्यूब्स पर कर दर 28% के स्थान पर 18% रखी जाए । 18. पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए । 19. मिठाई मिक्स पर कर की दर 5% रखी जाए । 20. घी व मक्खन पर 12% के स्थान पर जीएसटी की दर 5% रखी जाए । 21. कपड़ा व शक्कर को जीएसटी की दर 5% से मुक्त रखा जाए । 22. सीजीएसटी विभागों को ट्रेडर्स के यहाँ जाने से रोका जाना चाहिए । 23. कम्पोजिशन स्कीम में यदि स्टॉक आउट ऑफ स्टेट का भी है, तो उसे शामिल किया जाना चाहिए । 24. मिस मैच को मैच कराने के लिए तीन माह की अवधि दी जाए । 25. इंस्पेक्टरराज को सख्ती से रोका जाना चाहिए । 26. माल बिक्री की सीमा, अधिकतम छः माह की बाध्यता समाप्त होना चाहिए । 27. अगर कोई रजिस्टर डीलर किसी अनरजिस्टर डीलर से माल अथवा सेवा लेता है । जैसे- एडवोकेट की फीस, चाय वाले का बिल, साफ-सफाई खर्च, या किसी अतिथि के आने पर स्वागत सत्कार में किया गया खर्च आदि तो रजिस्टर डीलर को आरसीएम के तहत बिल जनरेट कर, जीएसटी के तहत कर जमा करना होगा। यह प्रावधान भी हटाया जाना चाहिए क्योंकि इससे व्यापार के छोटे-छोटे खर्च में काफी मुश्किलें आयेंगी और व्यापारी इसमें ही उलझकर रह जायेगा, जिसका उसके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 28. पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी में शामिल किया जाए ।